वर्ष 2010-2011 के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग का परिणाम-संरचना दस्तावेज
भाग-I
अवलोकन, मिशन, उद्देश्य और कार्यकलाप

अवलोकन:

उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में समानता और समावेशन सहित भारत के मानव संसाधन की संभावना को पूर्णतया कार्यान्वित करना।

मिशन:

(i) सभी पात्र व्यक्तियों और विशेष रूप से संवेदनशील वर्गों को समानता के साथ उच्चतर शिक्षा तक पहुंच के अधिक अवसर प्रदान करना।

(ii) वर्तमान संस्थाओं को सहायता प्रदान करते हुए नई संस्थाओं की स्थापना द्वारा, अभी विद्यमान क्षेत्रीय अथवा अन्य असमानताओं को सामाप्त करने के लक्ष्य वाले जन प्रयासों को अनुपूरित करते हुए राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों/सिविल सोसायटी को सहायता प्रदान करते हुए पहुंच का विस्तार करना।

(iii) ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने में लगी पब्लिक अथवा प्राइवेट संस्थाओं के अनुसंधान और नवाचार के सुदृढ़ीकरण और प्रोत्साहन हेतु नीतियां और कार्यक्रम आरंभ करना।

(iv) अवसंरचना और संकाय में निवेश द्वारा, अकादमिक सुधारों को प्रोत्साहन द्वारा, लाभवंचित समुदायों के समावेशन हेतु अभिशासन में सुधार और संस्थागत पुन:संरचना द्वारा उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना।

मुख्य उद्देश्य:

1. पहुंच, भागीदारी और विस्तार

- उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2011-2012 तक 15 प्रतिशत और बारहवीं योजना में 21 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का उसके सभी वितरण प्रकारों में विस्तार करना।

- वर्तमान संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता का सृजन करते हुए, नई संस्थाओं की स्थापना द्वारा और राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों/सिविल सोसायटी को प्रोत्साहन द्वारा उच्चतर शिक्षा के संस्थागत बेस (नवाचारी, व्यावसायिक और व्यवसायिक शिक्षा सहित) का विस्तार करना।

2. समानता और समावेशन

- सामाजिक रूप से वंचित सोसायटियों को और महिलाओं, अल्पसंख्यकों और नि:शक्त व्यक्तियों को प्रोत्साहित करते हुए असमानताओं को समाप्त करते हुए उच्चतर शिक्षा के अवसर प्रदान करना।

- असेवित और कम-सेवित क्षेत्रों में संस्थाओं की स्थापना द्वारा उच्चतर शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करना।

3. गुणवत्ता में वृद्धि

- उच्च शिक्षा संस्थाओं में अवसंरचना और संकाय विकास हेतु और शिक्षण तथा अनुसंधान में कैरियर के लिए प्रतिभा को आकृष्ट करने हेतु योजनागत सहायता में वृद्धि करना।

- विश्वविद्यालयों और कालेजों में सुधरी हुई अनुसंधान सुविधाओं के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति हेतु वातावरण तैयार करना।

- वैश्विक ज्ञान और बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विदेशी सरकारों, विश्वविद्यालयों/संस्थाओं और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करना।

- भारतीय भाषाओं के विकास को प्रोत्साहित करना।

4. अधिशासी सुधार

- उच्च शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता, नवाचार और अकादमिक सुधारों को प्रोत्साहित करना।

- उच्च शिक्षा में कार्यक्षमता, संगतता और सृजनात्मकता में सुधार हेतु संस्थागत पुन:संरचना आरंभ करना।

भाग-2 परिणाम-संरचना दस्तावेज का प्रारूप

कालम 1	कालम 2	कालम 3	कालम 4		कालम 5	कालम 6				
उद्देश्य	वेट	कार्रवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	वेटेज	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
पहुंच, भागीदारी और विस्तार	25	नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना	जगह का चयन	संख्या	2.0	13	11	09	07	05
			अकादमिक कार्यों की शुरूआत	संख्या	2.0	13	11	09	07	05
		गरीब छात्रों के लिए शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी योजना	कुल अनुमोदित पात्र ऋण आवेदनों का प्रतिशत	%	2.0	100	90	80	70	60
		शिक्षा वित्त कारपोरेशन की स्थापना	मंत्रिमंडल नोट का प्रस्तुतीकरण	दिनांक	2.0	31/1/2011	15/2/2011	28/2/2011	15/3/2011	31/3/2011
		शैक्षणिक रूप से पिछड़े 374 चिन्हित जिलों में माडल डिग्री कालेजों की स्थापना द्वारा क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करना	यूजीसी अथवा उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित कालेज	संख्या	2.0	110	100	90	80	70

कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4		कॉलम 5	कॉलम 6				
उद्देश्य	वरीयता	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	वरीयता	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब
						100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**
		10 नए एनआईटी का संचालन	शैक्षिक कार्यकलापों की शुरूआत	संख्या	2.0	10	7	5	4	3
		सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	कनेक्टिविटी प्रदान करना (क) विश्वविद्यालय	संख्या	1.0	90	70	50	40	30
			(ख) कॉलेज /पॉलिटेक्निक	संख्या	1.0	7000	6500	6000	5000	4000
		नए आईआईटी के परिसरों का निर्माण	स्थायी परिसर स्थलों पर निर्माण कार्य की शुरूआत	संख्या	2.0	7	6	5	4	3
		नए आईआईएम का संचालन	शैक्षिक कार्यकलापों की शुरूआत	संख्या	2.0	4	3	--	--	2
		20 नए आईआईटी की स्थापना	कैबिनेट नोट की प्रस्तुति	डेट	1.0	31-7-2010	31-8-2010	30-9-2010	31-10-2010	30-11-2010
		नए पॉलिटेक्निकों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता	पॉलिटेक्निकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई	संख्या	2.0	25	22	17	13	8

कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4		कॉलम 5	कॉलम 6				
उद्देश्य	वरीयता	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	वरीयता	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब
						100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**
		मौजूदा पॉलिटेक्निकों के स्तरोन्नयन के लिए वित्तीय सहायता	वित्तीय सहायता की प्रथम किश्त पॉलिटेक्निकों को प्रदान की गई	संख्या	2.0	100	90	70	60	50
		सामुदायिक पॉलिटेक्निकों के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या का कौशल विकास	लोगों को प्रशिक्षित किया गया	संख्या	2.0	1,00,000	70,000	65,000	60,000	55,000
समानता और समावेशन	14	तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में पृथक रूप से योग्य व्यक्तियों को समेकित करने हेतु योजना का कार्यान्वयन	पृथक रूप से शामिल किए गए योग्य व्यक्ति	संख्या	2.0	2300	2070	1840	1610	1380

कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4		कॉलम 5	कॉलम 6				
उद्देश्य	वरीयता	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	वरीयता	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब
						100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**
		केन्द्रीय शैक्षिक संस्था (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन	प्रत्येक केन्द्रीय शैक्षिक संस्था में दाखिला क्षमता में वार्षिक प्रतिशतता विस्तार	प्रतिशत	3.0	10	9	8	7	6
		अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नए परिसर की स्थापना	कार्य आरंभ किया गया (i) मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) और (ii) मल्लप्पापुरम (केरल)	डेट	4.0	31-12-2010 31-12-2010	31-01-2011 31-01-2011	28-02-2011 28-02-2011	-- --	31-03-2011 31-03-2011
		अल्पसंख्यक बहुल जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित कॉलेज	संख्या	3.0	25	22	20	18	16
		महिला छात्रावास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	वित्तीय सहायता की प्रथम किश्त पॉलिटेक्निकों को प्रदान की गई	संख्या	2.0	100	90	70	50	30

कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4		कॉलम 5	कॉलम 6				
उद्देश्य	वरीयता	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	वरीयता	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब
						100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**
गुणवत्ता वृद्धि	22	नवाचार विश्वविद्यालयों की स्थापना	कैबीनेट नोट की प्रस्तुति	डेट	2.0	30-09-2010	31-10-2011	30-11-2011	15-01-2011	31-01-2011
		4 शोध परिषदों की स्वतंत्र समीक्षा	समीक्षा की समासि :-	डेट						
			(i) आईसीएचआर		1.0	31-1-2011	15-02-2011	28-02-2011	15-03-2011	30-03-2011
			(ii) आईसीपीआर		1.0	31-1-2011	15-02-2011	28-02-2011	15-03-2011	30-03-2011
			(iii) आईसीएसएसआर		1.0	31-1-2011	15-02-2011	28-02-2011	15-03-2011	30-03-2011
			(iv) आईआईएएस		1.0	31-1-2011	15-02-2011	28-02-2011	15-03-2011	30-03-2011
		तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-II का कार्यान्वयन	कैबीनेट नोट की प्रस्तुति	डेट	2.0	31-05-2010	30-06-2010	31-07-2010	30-08-2010	30-09-2010
		शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम का कार्यान्वयन	स्नातक इंजीनियरों और डिप्लोमा धारकों को प्रशिक्षित किया गया	संख्या	2.0	70,000	60,000	50,000	40,000	30,000

कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4		कॉलम 5	कॉलम 6				
उद्देश्य	वरीयता	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	वरीयता	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब
						100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**
		विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुदूर क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा शोध के लिए 50 केन्द्रों की स्थापना हेतु स्कीम	कैबीनेट नोट की प्रस्तुति	डेट	2.0	31-12-2010	31-01-2011	28-2-2011	15-03-2011	31-03-2011
		200 इंजीनियरी कॉलेजों के स्तरोन्नयन हेतु स्कीम	कैबीनेट नोट की प्रस्तुति	डेट	2.0	31-12-2010	31-01-2011	28-02-2011	15-03-2011	31-03-2011
		पाली और प्राकृत के विकास के लिए केन्द्रों का संचालन	01.04.2010 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृति पदों को भरना	संस्वीकृत पदों की प्रतिशतता	2.0	100	90	80	75	60
		राष्ट्रीय अनुवाद मिशन का पूर्ण संचालन	परियोजना निदेशक की नियुक्ति	डेट	2.0	30-09-2010	31-10-2010	30-11-2010	31-12-2010	31-01-2011

कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4		कॉलम 5	कॉलम 6				
उद्देश्य	वरीयता	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	वरीयता	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब
						100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**
		तेलुगू और कन्नड-शास्त्रीय भाषाओं की स्कीम का संचालन	ईएफसी का निर्णय	डेट	2.0	31-08-2010	30-09-2010	31-10-2010	30-11-2010	31-12-2010
		निदेशक, केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान का चुनाव	शोध-व-चुनाव समिति की सिफारिश		2.0	30-11-2010	31-12-2010	31-01-2011	28-02-2011	31-03-2011
शासकीय सुधार	28	एनसीएचईआर की स्थापना	कैबीनेट नोट की प्रस्तुति	डेट	9.0	31-12-2010	15-01-2011	31-01-2011	15-2-2011	28-02-2011
		2020 तक 30 का सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लिए कार्यनीति	परिकल्पना नोट को अंतिम रूप प्रदान करना	डेट	2.0	31-08-2010	30-09-2010	30-11-2010	21-12-2010	31-01-2011

कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4		कॉलम 5	कॉलम 6				
उद्देश्य	वरीयता	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	वरीयता	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब
						100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**
		शांति और सतत् विकास हेतु महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान की स्थापना	संस्थान के कार्यकलापों को शुरू करना	डेट	3.0	02-10-2010	31-10-2010	31-01-2011	15-03-2011	31-03-2011
		उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु कार्यनीति	परिकल्पना नोट को अंतिम रूप देना	डेट	2.0	31-08-2010	31-10-2010	30-11-2010	31-12-2010	31-01-2011
		कॉपीराइट दस्तावेज को डिजिटल रूप प्रदान करना	डिजिटल रूप प्रदान करने संबंधी कार्य की शुरूआत	डेट	3.0	31-12-2010	31-01-2011	28-02-2011	15-03-2011	31-03-2011
		शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाणपत्रों को समाप्त करना	प्रायोगिक परियोजना का प्रारम्भ	डेट	3.0	30-9-2010	15-10-2010	31-10-2010	30-11-2010	31-12-2010

कालम 1	कालम 2	कालम 3	कालम 4		कालम 5	कालम 6				
लक्ष्य	वरीयता	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	वेटेज	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब
						100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**
		भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 का संशोधन	8 नए भा. प्रौ. सं. को शामिल करने के लिए मंत्रिमंडल टिप्पणी को प्रस्तुत करना	डेट	2.0	31-8-2010	30-9-2010	31-10-2010	30-11-2010	31-12-2010
		प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में परिवर्तन बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को भा.प्रौ.सं. के रूप में परिवर्तित करना	मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत करना	डेट	2.0	31-8-2010	30-9-2010	31-10-2010	30-11-2010	31-12-2010
		भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम तैयार करना	मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत करना	डेट	2.0	31-10-2010	15-12-2010	30-01-2010	28-02-2010	31-03-2011

कालम 1	कालम 2	कालम 3	कालम 4		कालम 5	कालम 6				
लक्ष्य	वरीयता	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	वेटेज	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब
						100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**
आरएफडी प्रणाली की कुशल कार्य प्रणाली	5	प्रारूप समय पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।	समय पर प्रस्तुत	डेट	2.0	5-3-2010	8-3-2010	9-3-2010	11-3-2010	
		परिणामों को समय पर प्रस्तुत किया गया। नीतिगत योजना को अन्तिम रूप दिया गया	समय पर प्रस्तुत अगले 5 वर्षों के लिए नीतिगत योजना को अन्तिम रूप दिया गया	डेट डेट	1.0 2.0	2-5-2011 10-12-2010	3-5-2011 15-12-2010	4-5-2011 20-12-2010	5-5-2011 24-12-2010	6-5-2011 31-12-2010
मंत्रालय/विभाग की आंतरिक कुशलता/ प्रत्युत्तरता / सेवा वितरण में सुधार करना	6	सभी उत्तरदायी केन्द्रों के लिए आरएफडी का विकास (अधीनस्थ कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालय, स्वायत्त निकाय)	शामिल किए गए आरसी का प्रतिशत	%	2.0	100	95	90	85	80

कालम 1	कालम 2	कालम 3	कालम 4		कालम 5	कालम 6				
लक्ष्य	वरीयता	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	वेटेज	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब
						100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**
		सेवोत्तम का कार्यान्वयन	नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन, मॉनिटर और समीक्षा के अनुकरण के लिए सेवोत्तम सृजित करना	डेट	1.0	1-10-2010	5-10-2010	11-10-2010	15-10-2010	20-10-2010
			जनता की शिकायतों को दूर करने और मॉनिटर के लिए सेवात्तम अनुकरण प्रणाली सृजित करना	डेट	1.0	1-10-2010	5-10-2010	11-10-2010	15-10-2010	20-10-2010

कालम 1	कालम 2	कालम 3	कालम 4		कालम 5	कालम 6				
लक्ष्य	वरीयता	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	वेटेज	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब
						100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**
			नागरिकों के चार्टर के कार्यान्वयन की स्वायत्त लेखापरीक्षा	%	1.0	100	95	90	85	80
			जनता की शिकायतों को दूर करने की प्रणाली कार्यान्वयन की स्वायत्त लेखा परीक्षा	%	1.0	100	95	90	85	80

भाग- 3- स्वरूप मूल्य

आरएफडी में स्वरूप मूल्य सम्बद्ध नहीं है क्योंकि अधिकांश प्रस्तावित पहलों में बनाए गए उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए नए हैं:

लक्ष्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	वित्त वर्ष 08/09 के लिए वास्तिवक मूल्य	वित्त वर्ष 09/10 के लिए वास्तिवक मूल्य	वित्त वर्ष 10/11 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्त वर्ष 11/12 के लिए प्राक्षेपित मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए प्राक्षेपित मूल्य
उच्चतर शिक्षा के लिए पहुंच का विस्तार	6 नए भा.प्रौ.सं. का समेकन	स्नातकोत्तर और अनुसंधान पाठ्यक्रमों को शुरू करना			40	75	100	
समानता/शामिल करना	प्रथम चरण के 4 नए भा.प्रौ.सं. को शुरू करना	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करना				140	280	
	केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन	प्रत्येक केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था में दाखिले में औसतन 36% का विस्तार करना		9% विस्तार	9% विस्तार	9% विस्तार		
गुणवत्ता वृद्धि	प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना	प्रशिक्षित स्नातक इंजीनियर	संख्या	58877	43779	70000	70000	--

भाग-4

सफलता सूचकांक का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मापन प्रणाली

उच्चतर शिक्षा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 21वीं सदी के ज्ञान आधारित समाज के निर्माण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। समानता और उत्कृष्टता के साथ पहुंच में सुधार करना, राज्य विशिष्ट नीतियां अपनाना, पाठ्यचर्या सुधार के माध्यम से उच्चतर शिक्षा की सम्बद्धता को बढ़ाना, व्यावसायिकरण, शासी संरचना में सुधार करने के साथ नेटवर्किंग और सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरस्थ शिक्षा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र की कुछ मुख्य नीति पहले हैं। उच्चतर शिक्षा में अन्य महत्वपूर्ण नीति पहले विश्वविद्यालयों और कालेजों के सामान्य विकास के लिए कार्यक्रम, महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु विशेष अनुदान; छात्रों को छात्रवृतियां, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज में आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई इस वजह से व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न हो कि वह गरीब है और उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के शिक्षण व्यवसाय में योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने और उसमें बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। समानता के साथ विस्तार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग और गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बल दिया गया है।

भारत युवा व्यक्तियों का एक देश है 1.1 विलियन से अधिक की जनसंख्या में से 672 मिलियन लोग 15 से 64 वर्ष की आयु समूह में है जिसे सामान्यत: 'कार्य आयु जनसंख्या' के रूप में माना जाता है। उम्मीद है कि अगले 30 वर्षों में निर्भरता के अनुपात में तेजी से कमी देखी जाएगी जिससे भारत के लिए एक मुख्य जनांकिकी लाभांश गठित होगा। वर्ष 2001 में देश की 11 प्रतिशत जनसंख्या 18-24 वर्ष की आयु समूह में थी, उम्मीद है कि XI वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक यह 12 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। इस वृहद्ध जनसंख्या को मानव ससांधनों की अमूल्य परिसम्मपत्ति के रूप में समझना चाहिए और उन्हें आवश्यक कौशल प्रदान करना चाहिए ताकि उन्हें हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सहयोग देने तथा सम्पूर्ण विश्व के विकास के लिए भी सशक्त बनाया जा सके।

इस जनांनिकी लाभांश को ओर अधिक बढ़ाने की दृष्टि से, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच, समानता और गुणवत्ता बनाना भारत सरकार की मुख्य चिन्ता का विषय है। यह आवश्यकता महसूस की गई कि उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन दर, जो कि 12.4 प्रतिशत (2006-07 के अनिन्तम आंकड़े के अनुसार) है, को समयबद्ध ढंग से विशिष्ट रूप से बढ़ाना चाििहए। XI वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में, उच्चतर शिक्षा के लिए निधियन पिछली X वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए व्यय की तुलना में लगभग 10 गुना तक बढ़ाया गया और उच्चतर शिक्षा विभाग को आशा है कि 2012 में XI वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सकल नामांकन दर 15 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। 31.12.2009 को 504 विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं-243 राज्य विश्वविद्यालय, 53 राज्य निजी विश्वविद्यालय, 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 130 सम विश्वविद्यालय, विभिन्न राज्य विधानों के अंतर्गत स्थापित पांच संस्थाएं और केन्द्रीय विधान द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व की 33 संस्थाएं हैं। इसके अतिरिक्त 25951 कालेज हैं जिनमें महिलाओं के लिए लगभग 2565 कालेज शामिल हैं।

तथापि समानता और उत्कृष्टता सुनिश्चत करते हुए सरकारी और निजी निधियन से और अधिक विश्वविद्यालय और कालेज खोलने की आवश्यकता होगी। समानता और उत्कृष्टता के साथ समझौता किए बिना उच्चतर शिक्षा में निजी भागीदारी प्राप्त करने के लिए सरकारी-निजी साझेदारी के नवाचारी मॉडलों सहित उच्चतर शिक्षा के लिए बढ़ाए गए निधियन को प्रदान करने के लिए तरीके ढूंढने होंगे। सुलभता में वृद्धि करने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने भारत के प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय स्वरूप वाले कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के बावत प्रयास किए हैं। तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 8 नए भारतीय प्रबंधन संस्थान, 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और 10 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जा रहे हैं और इस दिशा में कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इसके अलावा, 5 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं शोध संस्थान और 2 आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय भी स्थापित किए जा चुके हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग राज्य सरकारों को देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में 374 नए डिग्री कॉलेज और 1000 नए पॉलीटेक्निक संस्थान स्थापित करने के बावत सहायता देने की भी योजना बना रहा है। शैक्षिक सुधारों से संबंधित एक प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है जिसमें सेमेस्टर प्रणाली शुरू किया जाना, पाठ्यक्रमों का नियमित स्तरोन्नयन तथा नवीनीकरण, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की शुरूआत, जिसमें विद्यार्थियों को क्रेडिट अर्जित करने के लिए पाठ्यक्रमों का चुनाव करने की अनुमति दी जाती है, अनिवार्य मूल्यांकन तथा प्रत्यायन आदि शामिल हैं। नई उच्चतर शिक्षा संस्थानों में निवेश करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देने के अलावा यह विभाग उन्हें शैक्षिक सुधार करने के साथ-साथ मौजूदा संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए भी प्रोत्साहन दे रहा है।

विश्वभर में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्रांति ने व्यापक सूचनाओं एवं विविध ज्ञान की तत्काल सुलभता को सुविधाजनक बना दिया है। हमारे उच्चतर शिक्षा संस्थानों को भी बौद्धिक संपदाओं का सृजन एवं संरक्षण करने की आवश्यकता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 3 फरवरी, 2009 को प्रारंभ किया गया है जिसमें अगले तीन वर्षों में लगभग 5000 करोड़ रू. की लागत आएगी और 20,000 डिग्री कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में 10,000 से भी अधिक विभागों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाएगी।

उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में हमारे समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती न केवल उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अपितु उच्चतर शिक्षा प्रणाली में भी अभिशासन मूलक सुधार लाना है। उच्चतर शिक्षा प्रणाली के समक्ष पर्याप्त संख्या में अच्छे संकाय सदस्यों को आकर्षित करके उन्हें बनाए रखने की चुनौती है ताकि तेजी से बढ़ती उच्चतर शिक्षा प्रणाली की मांग पूरी की जा सके। यह भी प्रयास किया जाना चाहिए कि शिक्षण व्यावसाय के प्रति पुन: सम्मान की भावना लाई जाए और समाज में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि रखा जाए जैसा कि हमारे देश की परम्परा रही है।

परिणाम कार्यढांचा दस्तावेज के सफलता सूचकों का वर्णन इस प्रकार है:-

क्र.सं	**सफलता सूचक**	**वर्णन/परिभाषा**
1	नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना	समानता सहित सुलभता में वृद्धि करने हेतु इस विभाग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। ये विश्वविद्यालय ऐसे प्रत्येक राज्य में स्थापित किए गए हैं जहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय (गोवा को छोड़कर) नहीं है। जम्मू व कश्मीर में दो विश्वविद्यालय हैं-एक कश्मीर मण्डल में और दूसरा जम्मू मण्डल में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखण्ड में सागर, बिलासपुर तथा गढ़वाल स्थित मौजूदा राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है।
2	जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज में छूट देने संबंधी योजना	भारत सरकार ने समाज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा भारत में मान्यताप्राप्त संस्थाओं से तकनीकी तथा व्यावसायिक विधाओं में किसी भी अनुमोदित पाठ्यक्रम का अध्ययन करने हेतु भारतीय बैंक संघ द्वारा संचालित शिक्षा ऋण योजना के तहत अनुसूचित बैंकों से लिए गए ऋण पर ऋण स्थगत अवधि के दौरान ब्याज में संपूर्ण छूट देने के बावत एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है।
३.	राष्ट्रीय शिक्षा वित्त निगम की स्थापना	बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त शिक्षा ऋणों का पुर्नवित्तपोषण करने और शैक्षिक संस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु सरकार एक राष्ट्रीय शिक्षा वित्त निगम स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
४.	३७४ अभिनिर्धारित शैक्षिक दृष्टि से पिछडे जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना करके क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के ऐसे शैक्षिक दृष्टि से पिछडे जिलों जहां सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया। आयोग ने ऐसे ३७४ जिलों का अभिनिर्धारण किया। इस विभाग ने अब इन पिछडे जिलों में मॉडल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है बशर्ते अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। यह उच्चतर शिक्षा की सुलभता विस्तार संबंधी सरकार की नीति का एक हिस्सा है।
५.	७ भारतीय प्रबंधन संस्थानों तथा ८ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना।	तेजी से बदलती प्रौद्योगिकियों से निबटने हेतु तकनीकी कार्य बल को उच्च स्तरीय ज्ञान तथा कौशलों की आवश्यकता होती है ताकि यह विश्व श्रम बाजार में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकें। व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की सुलभता में वृद्धि करने हेतु इस विभाग ने देश के विभिन्न भागों में ७ नए भारतीय प्रबंधन संस्थान तथा ८ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है।

६.	१० नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, २० भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना।	मौजूदा २० राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जिनमें इंजीनियरी तथा संबंधित विषयों में लगभग १५००० विधार्थियों की वार्षिक दाखिला क्षमता है के अलावा XI वीं योजना के तहत १० नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को मंजूरी दी गई है जिनकी स्थापना अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, गोवा (जो दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली तथा लक्षद्वीप की जरूरतें भी पूरी करेंगे), पुड्डुचेरी (जो अंडमान व निकाबार द्वीप समूह की जरतें भी पूरी करेंगे) सिक्किम, दिल्ली (जो चंडीगढ. की जरूरतें पूरी करेंगे) और उत्तराखंड में की जाएगी। संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा इन संस्थाओं के लिए उपयुक्त भूखंड का अभिनिर्धारण किया जा रहा है। योजना आयोग ने XI वीं योजनावधि के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति से २० नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है जो राज्यों तथा उद्योग की भागीदारी में स्थापित किए जाने वाले एक अथवा एकाधिक डोमेन क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में विशेषता वाले उच्च गुणवत्तायुक्त स्वायत्त संस्थान होंगे।
7	नए पॉलीटेक्निकों की स्थापना, मौजूदा पॉलीटेक्निकों का स्तरोन्नयन और सामुदायिक पॉलेटिक्निकों के जरिए निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का कौशल विकास करने हेतु वित्तीय सहायता।	१५ अगस्त २००७ को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण जिसमें उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास पर एक मिशन प्रारंभ करने की बात कही थी, के अनुसरण में योजना आयोग ने प्रस्ताव किया था कि कौशल विकास मिशन में चार उप-मिशन होंगे जिनमें से एक पॉलीटेक्निक से संबंधित होगा। योजना आयोग द्वारा यथाप्रस्तावित पॉलीटेक्निक संबंधी उप-मिशन में xi वीं योजनावधि के दौरान निम्नलिखित घटक शामिल किया जाना था : (i)नये पॉलीटेक्निकों की स्थापना; (ii)मौजूदा पॉलीटेक्निकों का सुदृढ़ीकरण; (iii)सामुदायिक पॉलीटेक्निक योजना का विस्तार; (iv)डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु इंजीनियरी कॉलेजों को सहायता और (v) पॉलीटेक्निक संस्थानों में महिला छात्रावासों का निर्माण
८	तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की मुख्यधारा में विकलांग व्यक्तियों के समेकन हेतु योजना का कार्यान्वयन	निःशक्त व्यक्ति (समान अधिकार, अधिकारों का संरक्षण तथा संपूर्ण भागीदारी) अधिनियम १९९५ में १८ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक विकलांग बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा, सामान्य स्कूलों में विकलांग विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने, विकलांग बच्चों हेतु विशेष स्कूलों को व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यकलापों से सुसज्जित करना। उच्चतर शिक्षा विभाग ने विभिन्न संगठनों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, अखिल भारतीय तकनीकी परिषद के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों में उच्चतर/व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कई कदम उठाए हैं। इन पहलों में विकलांगों को उपयुक्त महौल उपलब्ध कराना, मानव संसाधन विकास तथा उच्चतर शिक्षा का संवर्धन शामिल है।

9	केन्द्रीय शैक्षिक संस्था(दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, २००६ का कार्यान्वयन	केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, २००६ के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को २७ प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया जाना है। सरकारी नीति के कार्यान्वयन के लिए अन्य वर्गों के छात्रों की सीटों के वितरण पर बुरा प्रभाव डाले बिना अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण कोटे को भरने के लिए इन संस्थाओं की वार्षिक क्षमता में ५४ प्रतिशत की वृद्धि की जानी है। अतः सभी केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष अपनी वार्षिक क्षमता में वृद्धि करनी होगी।
10	अनुसंधान परिषदों की समीक्षा	शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभाग ने नवाचारी विश्वविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य इन विश्वविद्यालयों में विश्वस्तरीय मानदंड उपलबध कराना है ताकि इनमें प्रतिभा को आकर्षित किया जा सके जिससे नवाचार के ग्लोबल केन्द्रों के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रस्तावित विश्वविधालयों को क्लस्टर में लाने हेतु संपूर्ण विश्व की ज्ञान प्रतिभा को सक्षम बनाया जा सके। सरकार ने मौजूदा अनुसंधान परिषदों यथा आई.सी.एच.आर., आई.सी.पी.आर., आई.सी.एस.एस.आर., आई.आई.ए.एस. की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया है ताकि उनकी व्यवहार्यता तथा प्रदर्शन पर विचार विमर्श किया जाए तथा उनके सुधार के लिए उपायों का सुझाव किया जा सके।
11	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टी.ई.क्यू.आई.पी.)	तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, विभाग ने विश्व बैंक की सहायता से एक तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम लागू किया है जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा तकनीकी संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करना है ताकि वे गतिशील, मांग-आधारित, गुणवत्ता जागक तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रतिस्पर्धात्मक बन सकें। प्रस्तावित सुधारों में संकाय विकास, परीक्षा सुधार नियमित पाठ्यचर्या संशोधन, सेमेस्टर प्रणाली शुरू करने अनुसंधान पर फोकस करने तथा जबाबदेही के साथ स्वायत्तता देना शामिल है।
12	एन.सी.एच.ई.आर. की स्थापना	प्रो. यशपाल समिति तथा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने मानकों को बनाए रखने तथा उच्चतर शिक्षा के लिए सुलभता, शामिल करने तथा गुणवत्ता हेतु सुविधा देने तथा समन्वित उपाय करने के लिए एक सर्वसमावेशी निकाय के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग की स्थापना का निर्णय लिया है।
13	प्रतिलिप्याधिकार दस्तावेजों का डिजीटलीकरण	विभाग द्वारा प्रतिलिप्याधिकार दस्तावेजों का डिजीटलीकरण किया जाएगा ताकि आम आदमी को उन्हें सुलभ कराया जा सके।
14	शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाणपत्रों की भौतिकता को दूर करना	सरकार अकादमिक योग्यताओं हेतु एक राष्ट्रीय डाटाबेस स्थापित करने पर विचार कर रही है जिसका इन्हें निर्धारित, पंजीकृत न्यासी द्वारा इनका सृजन तथा रख-रखाव किया जाएगा। यह अकादमिक योग्यताओं को आनलाइन सुलभ कराकर, ट्रांसक्रिप्ट प्राप्त करने तथा सत्यापन के लिए व्यक्तियों द्वारा शैक्षिक संस्थाओं के पास जाने की आवश्यकता को हटाकर तथा साथ-ही साथ संस्थाओं द्वारा छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन संबंधी रिकार्डों के कई वर्षों तक संरक्षित रखने की आवश्यकता में कमी करके संस्थाओं, छात्रों तथा स्नातकों और नियोक्ताओं को काफी लाभ उपलब्ध कराएगा। प्रणाली आनलाइन सत्यापन के माध्यम से जाली प्रमाणपत्रों तथा अंक तालिकाओं को तैयार करने की धोखेधड़ी की प्रथा को भी समाप्त करेगी।

सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि की एक मुख्य विशेषता उच्चतर शिक्षा सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होगी। विशेष रूप से अभिशासन मुद्दों से जुडे कई शैक्षिक सुधार किए जा रहे हैं ताकि एक तरफ तो प्राइवेट भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए तथा दूसरी ओर मौजूदा ऐच्छिक प्रत्यायन प्रणाली के स्थान पर सभी संस्थाओं के लिए प्रत्यायन तथा मूल्यांकन को अनिवार्य बनाकर गुणवत्ता को भी बनाए रखा जाए। छात्रवृत्तियों तथा शैक्षिक ऋणों पर ब्याज में छूट की स्कीमों को भी शुरू किया गया है ताकि वित्तीय बाधाओं के कारण प्रतिभावान छात्र उच्चतर शिक्षा से वंचित न रहें।

इस दस्तावेज में प्रयुक्त परिवर्ती शब्द इस प्रकार है :-

ए.आई.सी.टी.ई	-	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
ए.एम.यू.	-	अलीगढ. मुस्लिम विश्वविद्यालय
सी.सी.ई.ए.	-	आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति
सी.आई.सी.टी.	-	केन्द्रीय श्रेण्य तमिल संस्थान
ई.एफ.सी.	-	व्यय वित्त समिति
एफ.ओ.	-	वित्त अधिकारी
जी.ए.टी.ई.	-	स्नातक इंजीनियरी
जी.ई.आर.	-	सकल नामांकन अनुपात
एच.ई.आई.	-	उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं
आई.सी.एच.आर.	-	भारतीय मानव अनुसंधान परिषद
आई.सी.पी.आर.	-	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद
आई.सी.एस.एस.आर.	-	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
आई.सी.टी.	-	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आई.आई.ए.एस.	-	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान
आई.आई.आई.टी.	-	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
आई.आई.एम.	-	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आई.आई.एस.ई.आर.	-	भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद
आई.आई.टी.	-	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एम.ओ.ए.	-	समझौता ज्ञापन

एन.सी.एच.ई.आर.	-	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद
एन.आई.टी.	-	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एन.टी.एम.	-	राष्ट्रीय अनुवाद मिशन
ओ.बी.सी.	-	अन्य पिछड़ा वर्ग
पी.ए.सी.	-	परियोजना अनुमोदन समिति
पी.जी.पी.	-	स्नातकोत्तर प्रबंधन कार्यक्रम
टी.ई.क्यू.आई.पी.	-	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम
यू.जी.सी.	-	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूनेस्को	-	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन

सारणी में सफलता निदर्शक सामान्यतः सूची में दिए गए कार्रवाई बिन्दुओं को हासिल करने के लिए किए गए उपाय हैं, जिन्हें एक साथ रखे जाने का परिणाम उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रमुख उद्देश्य होंगे अर्थात् ;(१) सुलभता, भागीदारी तथा प्रसार, ;(२) समानता तथा समग्रता ; (३) गुणवत्ता सुधार, तथा ; (४) अभिशासन सुधार। मापन प्रक्रिया भी सरल है, जैसे नई संस्थाओं (विस्तार के अंतर्गत) द्वारा अकादमिक कार्यों को शुरू करना, अन्य पिछडा वर्ग (समानता के अंतर्गत) आरक्षण की प्रतिशतता को हासिल करना। गुणवत्ता सुधार तथा अभिशासन सुधारों के अंतर्गत सूचीबद्ध कार्रवाई बिन्दु निर्धारित नहीं है परन्तु दस्तावेज में प्रत्येक ऐसे बिन्दु हेतु लक्षित तिथि दी गई है।

खंड ५

अन्य विभागों से विशिष्ट प्रदर्शन अपेक्षाएं जो सहमत परिणामों को प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं।

- आर.एफ.डी. दस्तावेज में शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रत्येक जिले में एक की दर से ३७४ माडल कालेज स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। तथापि, ये कालेज केवल राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही स्थापित किए जा सकते हैं।

- शैक्षिक सुधारों हेतु विधायी प्रस्तावों को अंतिम रूप देना सभी स्टेकहोल्डरों के साथ समय से विचार-विमर्श तथा अंतर मंत्रालयी परामर्शों के दौरान सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से समय से उत्तर प्राप्त होने पर निर्भर करता है।

- विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना जैसाकि आर.एफ.डी. में दर्शाया गया है संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय से भूमि हस्तांरित करने पर निर्भर करती है।

- विभाग ने उत्तराखंड तथा राजस्थान में भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना का निर्णय लिया है परन्तु दोनों राज्यों द्वारा इसके लिए अभी भूमि उपलब्ध कराई जानी है।

- शैक्षिक ऋणों पर ब्याज में छूट की स्कीम बैंकों के माध्यम से है तथा सहमत परिणामों को प्रदान करने के लिए उनके सहयोग की आवश्यकता होगी।